

(उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर
 राशनी

श्री. प्रदीप शर्मा
 को सौंपना।

1. तहसीलदार, राशनी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सौंपना।

प्रतिलिपि :-

क्रमांक: सदर/5-11(219)/2023

दिनांक :-

(उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर
 राशनी



1.	राशनी	297	वर्तमान प्रविष्टि (अर्थ प्रविष्टि)	आदेश
क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अर्थ प्रविष्टि)	आदेश
				सं दर्ज की जानी है

आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने का
 राशनी व जिला **विर्ताइंग** की जमाबन्दी सम्वत् **2077** में खाला संख्या **297** में वर्तमान में दर्ज
 राजस्व नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **राशनी** तहसील
 निरीक्षक वृत्त **राशनी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राशनी** की राजस्व अनुशेषा के आधार पर
 प्रार्थी के "खाला **वर्तमान**" प्रार्थना पर एवं पटवारी, पटवार हल्का **राशनी** में अभिलेख

प्रसंग :- 29 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के सेवा
 अभियान-2023

(पीठासीन अधिकारी कंस कौट) कंस :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

व्यापलय उपखण्ड अधिकारी एवं पटन सहायक कलेक्टर राशनी

राजस्थान सरकार

